

शहर में बिक रहा था नकली हेयर कलर, 126 पेटी

जब्त, दुकान संचालक

अंबिकापुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर में नकली हेयर कलर की बिक्री के मामले में कोतवाली पुलिस ने मेहंदी के थोक विक्रेता को गिरफ्तार कर 126 पेटी मेहंदी बरामद किया है। विक्रेता के विरुद्ध ट्रेडमार्क व कापीराइट एक्ट तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कंपनी के प्रतिनिधि की रिपोर्ट पर आरोप प्रमाणित पाने पर दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया है।

Publish Date: | Sun, 29 Aug 2021 08:42 PM (IST)



अंबिकापुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर में नकली हेयर कलर की बिक्री के मामले में कोतवाली पुलिस ने मेहंदी के थोक विक्रेता को गिरफ्तार कर 126 पेटी मेहंदी बरामद किया है। विक्रेता के विरुद्ध ट्रेडमार्क व कापीराइट एक्ट तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कंपनी के प्रतिनिधि की रिपोर्ट पर आरोप प्रमाणित पाने पर दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि डीसी रोड में हनुमान मंदिर के सामने रोशन लाल अग्रवाल के द्वारा आकाश जनरल स्टोर का संचालन किया जाता है। प्रेम हिना प्राइवेट लिमिटेड, मुख्य कार्यालय नासिक महाराष्ट्र के प्रतिनिधि सोमन सिंह सेंगर पिता मनीष सिंह सेंगर ने पुलिस को सूचना दी थी कि अंबिकापुर में उनकी कंपनी के द्वारा विक्रय किए जाने वाले काले व भूरे रंग का निशा हिना बेस्ट हेयर कलर का नकली उत्पाद बेचा जा रहा है। नकली उत्पाद में उनकी कंपनी के ट्रेडमार्क का उपयोग किया जा रहा है। सेंगर ने पुलिस को बताया था कि उनकी कंपनी को निशा नेचुरल हिना के असली ट्रेड मार्क के साथ नकली उत्पाद की बिक्री होने की सूचना मिल रही थी। लीगल हेड के साथ जब वे अंबिकापुर पहुंचे और नकली उत्पाद की बिक्री की पुष्टि के लिए हमनाम ब्रांड और ट्रेडमार्क से बिक रही मेहंदी की आकाश जनरल स्टोर से खरीदी की, तो उन्हें पता चला कि नकली उत्पाद का फर्म संचालक रोशनलाल होलसेलर हैं। काफी स्टॉक दुकान में उपलब्ध होने की पुष्टि के बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों व सदर कोतवाली पुलिस को दी थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस शहर के नकली उत्पाद विक्रेता के यहां छापामार कार्रवाई की तो 57 पैकेट भूरे रंग का हेयर कलर, कुल 570 पाउच और काले रंग का 69 पैकेट नेचुरल हिना कुल 690 पाउच मिला। इसकी कीमत लगभग 19 हजार रुपये है। पूछताछ में दुकान संचालक ने अंबिकापुर के दरिमा रोड स्थित एक एजेंसी से उक्त मेहंदी को खरीदना बताया। पुलिस ने उक्त फर्म में दबिश दी लेकिन यहां प्रेम हिना कंपनी के द्वारा सप्लाई किए जाने वाले उत्पाद नहीं मिले। इसकी पुष्टि कंपनी के प्रतिनिधि ने भी की। ऐसे में नामी कंपनी की मेहंदी का ट्रेडमार्क लगा नकली उत्पाद कहां से लाकर बेचा जा रहा था, यह पुष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि आकाश जनरल स्टोर के संचालक ने जिस एजेंसी से नकली मेहंदी की खरीदी करने की जानकारी दी थी, वहां गोदाम व दुकान में एक भी नकली उत्पाद नहीं मिला।

पैकेट के रंग व दिशानिर्देश में था अंतर-

आरोपित आकाश जनरल स्टोर के संचालक द्वारा जिस हमनाम मेहंदी की बिक्री की जा रही थी उसमें दिए गए दिशानिर्देश व पैकेट के रंग में काफी असमानता थी, लेकिन ट्रेड मार्क हूबहू था। पुलिस ने नकली उत्पाद के विक्रेता के विरुद्ध धारा 103 104 ट्रेडमार्क एक्ट व कापीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

Source: <https://www.naidunia.com/Chhattisgarh/Ambikapur-Fake-Hair-Color-Was-Being-Sold-In-The-City-126-Boxes-Seized-Shop-Operator-7017152>